GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF COAL
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO. 274
TO BE ANSWERED ON 03.02.2021

Auction of seized coal

274. SHRI VICENT H. PALA:

Will the Minister of COAL be pleased to state:

(a) whether the Government is aware that the auction of seized Coal in Meghalaya as per the Supreme Court order has not taken place and if so, the details thereof;
(b) whether the Government is aware that the State government has done the Coal auction on their own without following NGT/ Supreme Court guidelines and if so, the details thereof; and
(c) the total royalty collected by the Union Government from Coal in Meghalaya for the last two years?

ANSWER

MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS, COAL AND MINES
(SHRI PRALHAD JOSHI)

(a) In compliance of Hon'ble Supreme Court's order dated 3rd July, 2019, the coal which has been seized by State in illegal mining and Illegal transportation has been disposed of by auction in accordance with Section 21 of the Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957.

(b) The State Government is strictly adhering to the directions passed by Hon'ble NGT, Hon'ble Supreme Court of India and Hon'ble NGT Committee, Meghalaya for disposal of the extracted coal.

(c) The State Government is entitled to collect royalty on coal and Union Government does not collect any royalty on coal in Meghalaya.

*****

भारत सरकार

कोयला मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या : 274

जिसका उत्तर 03 फरवरी, 2021 को दिया जाना है

जब्त कोयले की नीलामी

274. श्री विनसेंट एच. पाला:

क्या **कोयला मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मेघालय में जब्त कोयले की नीलामी उच्चतम न्यायालय के आदेशानुसार नहीं हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) : क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि राज्य सरकार में राष्ट्रीय हरित अधिकरण/उच्चतम न्यायालय के दिशानिर्देशों का पालन किए बिना अपने आप ही कोयले की नीलामी की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) : गत दो वर्षों के दौरान मेघालय में सरकार द्वारा कोयले से कुल कितनी रॉयल्टी एकत्र की गई है?

उत्तर

संसदीय कार्य, कोयला एवं खान मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) : माननीय उच्चतम न्यायालय के 3 जुलाई, 2019 के आदेश के अनुपालन में अवैध खनन और अवैध ढुलाई में राज्य द्वारा जब्त किए गए कोयले का निस्तारण खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 के अनुसार नीलामी द्वारा किया गया है।

(ख) : राज्य सरकार निकाले गए कोयले के निस्तारण के लिए माननीय एनजीटी, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय एनजीटी समिति, मेघालय द्वारा पारित निर्देशों का कड़ाई से पालन कर रही है।

(ग) : राज्य सरकार कोयले पर रॉयल्टी वसूलने की हकदार है और केंद्र सरकार मेघालय में कोयले पर कोई रॉयल्टी एकत्र नहीं करती है।

*****